# मध्य प्रदेश शासन
# वित्त विभाग
# <u>मंत्रालय</u>

## //आदेश//

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2015

क्र.एफ 712/1008/2015/ई/चारः राज्य शासन, एतदद्वारा, नीचे दी गई तालिका अनुसार उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारन्टी योजना तथा विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर मध्य प्रदेश शासन की ब्याज अनुदान योजना में संशोधन करती है:-

| योजना का नाम | विभागीय आदेश/ ज्ञाप क्र. एवं दिनांक | कंडिका क्रमांक | कंडिका का प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना | प्राविवि/उशिगायो –9/संविसं/2009 /2083 दिनांक 31 अक्टूबर 2009 | कंडिका 4 | मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगें जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 5 लाख से अधिक नहीं है (शपथ–पत्र हेतु निर्धारित परिशिष्ट–3)। संबंधित विद्यार्थी के माता–पिता /पालक को यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनके पास कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियॉं नहीं है तथा उसके पास उपलब्ध आस्तियों का विवरण शपथ–पत्र (शपथ–पत्र हेतु निर्धारित परिशिष्ट–4) के साथ संलग्न करने होगें। | मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा ऋण हेतु गारंटी योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगें जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 5 लाख से अधिक नहीं है (अस्टाम्पित कागज पर स्व–हस्ताक्षरित स्व–प्रमाणित घोषणा-पत्र परिशिष्ट–3 अनुसार)। संबंधित विद्यार्थी के माता–पिता/ पालक को अस्टाम्पित कागज पर स्व–हस्ताक्षरित स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र देना होगा कि उनके पास कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियॉं नहीं है तथा उसके पास उपलब्ध आस्तियों का विवरण अस्टाम्पित कागज पर स्व–हस्ताक्षरित स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र (परिशिष्ट–4 अनुसार) के साथ संलग्न करने होगें। |

| योजना का नाम | विभागीय आदेश/ ज्ञाप क. एवं दिनांक | कंडिका कमांक | कंडिका का प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| विद्यार्थी द्वारा उच्च शिक्षा हेतु बैंक से लिये गये ऋण पर मध्य प्रदेश शासन की ब्याज अनुदान योजना | क.एफ 19/2/2012/ ई/चार दिनांक 03 सितम्बर 2012 | कंडिका 6 | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आय–प्रमाण पत्र जारी करने हेतु समय–समय पर घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र मान्य होगें। वर्तमान में आय प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी/3–11/1/3/2010 दिनांक 7 सितम्बर 2010 से जारी निर्देश प्रभावशील हैं। | लाभार्थी द्वारा योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी/3–7–2013–3–एक दिनांक 25 सितम्बर 2014 से जारी निर्देश अनुसार परिवार के सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय हेतु अस्टाम्पित कागज पर स्वहस्ताक्षरित स्व–प्रमाणित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा। |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

**(मनीष रस्तोगी)**
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृ.क.एफ 7.1.3 / 1008 /2015/ई/चारः भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2015

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
3. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/आडिट 1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग, भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल।
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
12. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
14. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, भोपाल।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भोपाल।
16. प्रदेश में कार्यरत सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंक के राज्य स्तरीय प्रमुख।

17. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
18. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
19. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश।
20. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(श्रृंखला संगीने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

(परिशिष्ट–3)

# परिवार की वार्षिक आय का स्व–प्रमाणित स्व–हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र

## SELF-CERTIFIED SELF-SIGNED DECLARATION

[This declaration is to be self-certified self-signed by Head ofFamily of a student on behalf of all earning members of the family[1]]

I ------------------------------------ S/o/D/o Shri ------------------------------ aged about ------- years having an occupation of --------------------, resident of --------------------- do hereby solemnly affirm and declare as follows.

1. I am the applicant herein as such I am well acquainted with the facts of this declaration.

2. I submit that I am the permanent resident of --------------------------------------------- (give complete address) of ---------------- Tehsil -------------- District.

3. I submit that annual income of my family is Rs. --------------- (in words) ----------- ----------------------------------------------- (in figure) from all sources.

4. I submit that I belong to ________________________ caste, which is classified as SC/ST/OBC/Minorities/General.

5. The said declaration of caste, residence and income is necessary for my son/ daughter named ---------------------------------------------- for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availing loan from the ------------------------------------------ (name and full address of the bank) for Higher Education purpose.

6. The above declarations stated are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further declare that I have not concealed any information/facts. I am fully aware that the criminal and punishable action may be taken against me on giving wrong or misleading information.

7. Hence; this declaration.

DECLARANT

Date:- ----------day of ------------month -----------year

Place:- -----------------------.

[1] This format of declaration is common for caste, residence & income certificates. The applicant needs to declare the appropriate clauses.

(परिशिष्ट–4)

# कॉलेटरल सिक्यूरिटी हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं होने का स्व–प्रमाणित स्व–हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र

## SELF-CERTIFIED SELF-SIGNED DECLARATION

[This declaration is to be self-certified self-signed by Head ofFamily of a student on behalf of all members of the family[2]]

I ------------------------------------- S/o Shri ------------------------------ aged about ------------- years having an occupation of --------------------, resident of --------------------- do hereby solemnly affirm and declare as follows.

1. I am the deponent herein as such I am well acquainted with the facts of this declaration.

2. I submit that I am the permanent resident of -------------------------------------------- (give complete address) of ---------------- Tehsil --------------- District.

3. I submit that the value of all immovable property owned by me and my family members is approximately is Rs. ---------------- (in words) ------------------------------ ----------------------------- (in figure). The assets available with my family are not sufficient for the purpose of mortgaging it in favour of the bank for the purpose of education loan for my Son/Daughter. Details of immovable properties are as follows-

   (a) Agriculture land ------------- acre (khasra no. ---------) at -------------- village --------------- tehsil ---------------District

   (b) House at ---------------------- (full address) at --------------- village ------------ tehsil ---------------District

4. The said declaration is necessary for my son/daughter named ---------------------- for the purpose of obtaining a Guarantee of the Government of Madhya Pradesh for the purpose of availing loan from a ------------------------------------------ (name & full address of the bank) for Higher Education purpose.

5. The above declarations stated are true and correct to the best of my knowledge and belief. I further declare that I have not concealed any information/facts. I am fully aware that the criminal and punishable action may be taken against me on giving wrong or misleading information.

6. Hence; this declaration.

DECLARANT

Date:- ----------day of ------------month -----------year

Place:- ------------------------.

[2] This format of declaration is for declaring mortgageable assets as collateral security in favour of the bank. The applicant needs to declare only the appropriate clauses.